न्यायालय सहायक कलक्टर, चूरू
पीठासीन अधिकारी सक्षम गोयल, आई.ए.एस.

नम्बर मुकदमा	किस्म मुकदमा	ता0 दायरा	निर्णय तिथि
....	....	....	....
106/2020	दावा 88, 90, 92ए RTA	21.09.2020	13.03.2024

राजेन्द्रसिह पुत्र स्व. कानाराम जाति जाट निवासी बूंटिया तहसील व जिला चूरू

–वादी–

बनाम

1. रामनिवास दत्तक पुत्र स्व. कानाराम जाति जाट निवासी ग्राम बूंटिया तहसील व जिला चूरू
2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार साहब, चूरू

–प्रतिवादी–

दावा अन्तर्गत धारा 88, 90, 92ए आर.टी.ए.

उपस्थित – 1. अधिवक्ता श्री हकीम अहमद खान वादी

निर्णय

वादी की ओर से दावा अन्तर्गत धारा 88, 90, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश कर निवेदन किया कि वादी ग्राम बूंटिया तहसील चूरू का निवासी है कृषि भूमि खसरा नम्बर 817/443 रकबा 5.3241 हैक्टेयर यानि 21 बीघा 01 बिश्वा ग्राम रोही बूंटिया तहसील चूरू में स्थित पर वादी का कब्जा शान्ति पूर्वक चला आ रहा है। यह कि खसरा नम्बर 817/443 का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन प्रतिवादी सं. 1 के नाम से गलती से हो गया मगर प्रतिवादी का उक्त खसरा जात कृषि भूमि पर कब्जा कभी नहीं रहा है उक्त खसरा जात कृषि भूमि पर करीब 15 पन्द्रह साल से भौतिक रूप से कब्जा व काश्त वादी का ही चला आ रहा है जो शान्तिपूर्वक लगातार चला आ रहा है आज भी कब्जा वादी का है। यह कि प्रतिवादी कुंवारा व्यक्ति है जो बिलकुल अकेला वो कभी भी उक्त खसरा भूमि को किसी भी व्यक्ति को डिकी कर सकता है अब तक सारा खर्चा प्रतिवादी का वादी ही वहन करता आ रहा था मगर अब उसका मन फिर गया है लालच आ गया है वो कभी भी उक्त को बिक्री कर सकता है। कब्जा ट्रांसफर कर सकता है इसलिये वादी को यह दावा न्यायालय में पेश करना पड़ रहा है। यह कि वादी का खसरा नम्बर 817/443 की कृषि भूमि पर 15 साल से लगातार कब्जा व काश्त चली आ रही है इसलिए वादी को उक्त खसरा भूमि पर खातेदारी अधिकार कानूनी रूप से प्राप्त करने का अधिकार हासिल हो गया है। यह कि प्रतिवादी [illegible] 817/443 रकबा 21 बीघा 1 बिश्वा कृषि भूमि का कब्जा बाला बाला [illegible] व बिक्री करने के फिराक में था वादी को जब इस बात [illegible] को प्रतिवादी को मना किया ओर वादी ने प्रतिवादी को स्वंय को जाकर कहा कि कब्जा मेरे पास है आप [illegible]ला रूप से

Signature Not Verified
Digitally signed by Saksham Goel
Date: 2024.04.24 10:58:26 IST
Reason: SelfAttested

किसी को बेच मत देना तो प्रतिवादी ने कहा कि मेरी मर्जी होगी उसे बिक्री करूंगा तुम रोकने वाले कौन होते हो इसलिए दिनांक 15.08.2020 से वादी को प्रतिवादी के विरूद्ध वाद हेतुक हासिल है कॉज ऑफ एकशन हासिल है। यह कि खसरा नम्बर 817/443 रोही मौजा बूंटिया की कृषि भूमि पर करीब 15 साल से शान्ति पूर्वक कब्जा काश्त वादी की चली आ रही है आज भी उक्त कृषि भूमि पर कब्जा काश्त वादी का ही है इस लिए वादी का प्रतिवादी के विरूद्ध दावा लाने का वादा आधार हासिल है। यह कि खसरा नम्बर 817/443 रकबा 21 बीघा 1 बिश्वा जो हैक्टेयर में 5.3241 हैक्टेयर है जो रोही मौजा बूंटिया तहसील चूरू में स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार हासिल है । यह कि दावा वादी वाजिब कोर्ट फीस पर अन्दर मियाद न्यायालय में पेश किया जा रहा है। यह कि दावा वादी में तहसीलदार चूरू को बतौर पक्षकार प्रतिवादी संख्या 2 इसलिए बनाया गया है कि माननीय न्यायालय के निर्णय व डिक्री की पालना में राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम बतौर खातेदार अमल दरामद तहसीलदार चूरू को ही करना है वादी ने राज्य सरकार के विरूद्ध किसी भी प्रकार की कोई मांग नही की है। अतः दावा वादी पेश कर अर्ज है कि दावा ब हक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री किया जावे।

(क) यह कि दावा वादी स्वीकार किया जाकर वादी को खसरा नम्बर 817/443 रोही मौजा बूंटिया का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

(ख) यह कि खसरा नम्बर रकबा 21बिघा 1 बिश्वा यानि 5.3241 हैक्टेयर रोही मौजा बूंटिया तहसील चूरू के राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी रामनिवास दत्तक पुत्र कानाराम का नाम हटाया जाकर उसके स्थान पर वादी राजेन्द्रसिंह पुत्र मोहनराम का नाम अमल दरामद किया जावे अंकन किया जावे।

(ग) यह कि प्रतिवादी संख्या 2 तहसीलदार चूरू को आदेश दिया जावे कि वो निर्णय व डिक्री की पालना में वादी का नाम बतौर खातेदार राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज किया जावे ।

(घ) प्रतिवादी संख्या 1 को जरिए स्थाई व्यादेश से पाबन्द किया जावे कि वह उक्त कृषि भूमि का किसी अन्य व्यक्ति को रहन बैय व हस्तान्तरण ना करे।

(ड़) अन्य कोई अनुतोष जो कानूनी तोर पर न्यायालय द्वारा दिया जा सकता है वो भी वादी के हक में अता फरमाया जावे ।

वादी की ओर से पेश दावा न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की जरिये सम्मन तलबी की गई जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से ताहिर खान एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी सं. 1 ने स्वंय उपस्थित होकर इकबालदावा प्रस्तुत किया गया जिसकी प्रति वकील वादी को दी गयी। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत इकबालदावा की मद निम्नानुसार हैं :-

यह कि दावा की मद सं. 1 ता 4 स्वीकार है, 5 ता 9 में जबाब की आवश्यकता नहीं है का उल्लेख करते हुए विशेष उत्तर किया है कि मुझ प्रतिवादी को इस दावा से कोई एतराज व आपत्ति नहीं है।यदि दावा में चाहे गये अनुतोष के मुताबिक वादी का दावा डिक्री फरमाया जाता है तो मुझ प्रतिवादी को कोई एतराज व आपत्ति नहीं होगी । लिहाजा माननीय न्यायालय से अर्ज है कि वादी का यह दावा मुताबिक अनुतोष डिक्री फरमाया जावे। दौराने कार्यवाही वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 द्वारा राजीनामा प्रस्तुत किया गया राजीनामा के तथ्यों का पढकर सुनाया गया जिसे उपस्थित पक्षकारों वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 द्वारा सही एवं सत्य होना स्वीकार किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Saksham Goel
Date: 2024.04.24 10:58:26 IST
Reason: SelfAttested

गया । उपस्थित पक्षकारों की पहचान उनके अधिवक्तागण द्वारा किये जाने पर राजीनामा तस्दीक किया गया। राजीनामा के तथ्य निम्नानुसार है:–

1. यह कि हम पक्षकारान वादी व प्रतिवादी के मध्य राजीनामा हो गया है, ख.न. 817/443 रकबा 5.3241 हैक्टेयर यानि 21 बीघा 01 बिश्वा ग्राम रोही बूंटिया तहसील चूरूमें प्रतिवादी रामनिवास व वादी राजेन्द्र का कब्जा काश्त स्वीकार करता हूं ।

2. यह कि हमने राजीनामा अपनी स्वंय की इच्छा से किया है जो सनद रहे। राजीनामा लोक अदालत की भावना से किया है।

3. यह कि जरिए राजीनामा के दावा को फैसल सुमार किया जा कर वादी का दावा डिक्री अंतिम डिक्री किया जाकर वादी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर वादी को बतौर खातेदार घोषित किया जाता है तो मुझ प्रतिवादी रामनिवास को कोई आपति नहीं है।

4. यह कि राजीनामा को मिसल पर लिया जाकर जरिए राजीनामा के लोक अदालत की भावना से दावा को फैसल सुमार किया जा कर मिसल का निस्तारण किया जावे।

प्रतिवादी सं. 2 द्वारा जबाब प्रस्तुत नहीं करने के कारण उनका जबाब बन्द करने हेतु वकील वादी द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 8 नियम 1 प्रस्तुत किया गया । जिसे अस्वीकार करते हुए प्रतिवादी संख्या 2 को जबाब हेतु अवसर दिया जाकर प्रतिवादी संख्या 2 राजपैरोकार से जबाब लिया गया।

प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चूरू की ओर से दिनांक 25.01.2023 को जबाबदावा प्रस्तुत कर न्यायालय से विशेष कथन में निवेदन किया गया कि पक्षकारान वादी व प्रतिवादी के मध्य इस कृषि भूमि के अंतरण हेतु दुरभिसंधि की गई, क्योंकि जिस तरह से वादी ने अपने वाद पत्र को प्रस्तुत किया है और प्रतिवादी संख्या 1 ने ईकबालदावा प्रस्तुत किया है जिसके तथ्यों से भलीभांति साबित है कि वाद पत्र में अन्तर्निहित कृषि भूमि एक छुपा हुआ अंतरण है। प्रतिवादी सं. 1 रिकॉर्डेड खातेदार है, जिसके अधिकारों के विरूद्ध 15 साल का कब्जा होना पत्रावली पर न तो साबित है तथा ना ही कोई कब्जे सम्बन्धी प्रमाण उपस्थित हैं । अतः वादी द्वारा वाद में अन्तर्निहित कृषि भूमि के अन्तरण पर करापवंचन किया जा रहा है। इसके पश्चात वादी की ओर से मुख्य परीक्षा हेतु शपथ पत्र भी दिनांक 01.02.2023 प्रस्तुत कर दावे में वर्णित तथ्यों को दोहराया जाकर तथ्य वर्णित किये गये ।

वादी द्वारा प्रस्तुत दावा की बाबत भूमिधारी तहसीलदार चूरू ने स्पष्टतया अपने जबाबदावे के माध्यम से वादपत्र को एक कोल्यूजिव वाद बताकर करापंवचन की जानी बतायी की जिससे राज्य सरकार को सीधे सीधे राजस्व की क्षति कारित की जा रही है। जिससे वादी का वाद खारिज किये जाने योग्य हो जाता है।

चूंकि पत्रावली पर उभय पक्ष वाद पत्र वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य राजीनामा हो चुका है एवं महज प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा वर्णित करांपवचन की बात को पृथक कर इस दावे के राजीनामा में कोई राज्य का हित प्रभावित होना न्यायालय द्वारा पत्रावली पर नहीं पाये जाने से वादी का वाद बरूये राजीनामा डिक्री किये जाने में कोई युक्तियुक्त विसंगती प्रतीत नहीं होने से वादी का वाद स्वीकार किये जाने योग्य हो जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Saksham Goel
Date: 2024.04.24 10:58:26 IST
Reason: SelfAttested

अतः उपरोक्त विस्तृत विवेचना के आधार पर वाद वादी खिलाफ प्रतिवादी जरिये राजीनामा डिक्री स्वीकार कर डिक्री किया जाता है कि वादगत कृषि भूमि खसरा नम्बर 817/443 तादादी 5.3241 हैक्टेयर कृषि भूमि का राजस्व अभिलेख में नामान्तरकरण रामनिवास दत्तक पुत्र कानाराम जाति जाट निवासी बूंटिया हिस्सा सम्पूर्ण दर्ज है के स्थान पर राजस्व अभिलेख में वादी का नाम बतौर खातेदार के दर्ज किया जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार चूरू को निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद से पूर्व वादगत कृषि भूमि का अंतरण का मूल्यांकन राज्य सरकार द्वारा ग्रम बूंटिया की प्रचलित डी एल सी दर से विक्रय के समतुल्य मुद्राक व पंजियन की राशि अदायगी करवायी जाकर न्यायालय द्वारा पारित डिक्री का पंजीयन सक्षम उप पंजीयक अधिकारी चूरू के यहां से करवाने के पश्चात ही डिक्री अनुसार राजस्व अभिलेख में दर्ज करने का आदेश पारित किया जाता है। राजीनामा निर्णय का भाग रहेगा । खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 13.03.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सक्षम गोयल आई.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
चूरू

Signature Not Verified

Digitally signed by Saksham Goel
Date: 2024.04.24 10:38:26 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमे इब्तदाई

(ऑर्डर 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

(CIVIL PROCEDURE CODE, APPENDIX 'D'-1)

अदालत सहायक कलक्टर, मुकाम चूरू

इजलास : श्री सक्षम गोयल आई0ए0एस0

राजेन्द्रसिह पुत्र स्व. कानाराम जाति जाट निवासी बूंटिया तहसील व जिला चूरू

–वादी–

बनाम

1. रामनिवास दत्तक पुत्र स्व. कानाराम जाति जाट निवासी ग्राम बूंटिया तहसील व जिला चूरू
2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार साहब, चूरू

–प्रतिवादी–

दावा अन्तर्गत धारा 88, 90, 92ए आर.टी.ए.

मुकदमा नं. 106 सन् 2020

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू हमारे हाजरी हकिम अहमद खान वादी मिनजानिब मुदईब व मिनजानिब मुदाएलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि:–

वाद वादी खिलाफ प्रतिवादी जरिये राजीनामा डिक्री स्वीकार कर डिक्री किया जाता है कि वादगत कृषि भूमि खसरा नम्बर 817/443 तादादी 5.3241 हैक्टेयर कृषि भूमि का राजस्व अभिलेख में नामान्तरकरण रामनिवास दत्तक पुत्र कानाराम जाति जाट निवासी बूंटिया हिस्सा सम्पूर्ण दर्ज है के स्थान पर राजस्व अभिलेख में वादी का नाम बतौर खातेदार के दर्ज किया जाने का आदेश दिया जाता हैं। तहसीलदार चूरू को निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद से पूर्व वादगत कृषि भूमि का अंतरण का मूल्यांकन राज्य सरकार द्वारा ग्रम बूंटिया की प्रचलित डी एल सी दर से विक्रय के समतुल्य मुद्राक व पंजियन की राशि अदायगी करवायी जाकर न्यायालय द्वारा पारित डिक्री का पंजीयन सक्षम उप पंजीयक अधिकारी चूरू के यहां से करवाने के पश्चात ही डिक्री अनुसार राजस्व अभिलेख में दर्ज करने का आदेश पारित किया जाता है। राजीनामा डिक्री का भाग रहेगा ।

यह डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 13. माह मार्च सन् 2024 को जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Saksham Goel
Date: 2024.04.24 10:58:26 IST
Reason: SelfAttested

(सक्षम गोयल आई.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
चूरू